भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 70

(जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसंबर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

<u>गैर-पंजीकृत कम्पनियों पर कार्रवाई करना</u>

70. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निधियां इकट्ठी करने के लिए निजी भर्ती माध्यमों का कथित दुरूपयोग करने वाली गैर-पंजीकृत कम्पनियों पर कार्रवाई करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार प्रत्येक भर्ती के बारे में व्यक्तिगत रूप से कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रविष्टि कराने को कंपनियों के लिए आवश्यक बनाने पर विचार कर रही है और दिए गए समय में कंपनी को निजी भर्ती को अधिकतम सीमा पर भी विचार कर रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने निजी भर्ती के मानकों के कथित उल्लंघन के लिए कतिपय कंपनियों के लेखा खातों के निरीक्षण हेतु आर.ओ.सी. से अनुरोध किया है; और
(च) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और उनके बारे में आर.ओ.सी. का निष्कर्ष क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री सचिन पायलट)

(क) से (च): कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत चूककर्ता कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करना एक सतत् प्रक्रिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 में निजी स्थापन पर प्रतिभूति के अंशदान की मांग करने का प्रावधान है।

मंत्रालय ने 24.09.2013 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निजी स्थापनो से संबंधित प्रारूप नियम जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए, जारी कर दिए हैं।

*****